संख्या : 375 / IV(1)/2009-28(कुम्भ)/2008

प्रेषक,

विजय कुमार डौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 16 मार्च 2009

विषय: हरिद्वार में स्थायी पेयजल व्यवस्था की योजनान्तर्गत अन्तःस्रोत कूप छिद्रण व अन्य संबंधित कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के फलस्वरूप द्वितीय किश्त की धनराशि के व्यय की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 392/IV(1)/2008-28(कुम्भ)/2008 दिनांक 31.3.2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 369.70लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 333.11लाख (रू. तीन करोड़ तैतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 732/कु.मे./पेयजल/अन्तःस्रोत कूप दिनांक 01.01.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराए गये पुनरीक्षित आगणन रू. 566.31लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 546.39लाख में से पूर्व स्वीकृत धनराशि को कम करते हुए स्वीकृति हेतु अवशेष रू. 213.28लाख (रू. 546.39लाख-रू. 333.11लाख) की धनराशि में से रू. 100लाख (रू. एक करोड़ मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृति व्यय वित्त समिति की दिनांक 19.02.2009 को आयोजित बैठक में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है। अतएव कार्य कराते समय, सचिव, नियोजन/सदस्य सचिव, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1411/ई.एफ.सी./नियो./2008-09 दिनांक 24.02.2009 में उल्लिखित व्यय वित्त समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. ऐसे निर्माण कार्य जिनके संबंध में श्री राम इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली के साथ अब तक Third Party Inspection की व्यवस्था नहीं हुई है, उन्हें नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप सम्पादित किया जाएगा।
3. Quality control से संबंधित निर्धारित धनराशि से बचत भी सुनिश्चित की जाएगी।
4. जे.एन.एन.यू.आर.एम. एवं कुम्भ मेला के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने वाले कार्यों पर इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. एवं कुम्भ मेला के कार्यों में duplicacy नहीं है।
5. उक्त कार्य को इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
7. कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

क्रमशः...

9. अन्तिम किश्त अवमुक्त करने के पूर्व उक्त कार्य हेतु टेण्डर में प्राप्त एल–1 की दर का विवरण भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2009 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उक्तानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही आगामी वित्तीय वर्ष मे अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
13. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 31.3.2008 के अनुसार लागू रहेंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 1120/XXVII(2)/2008 दिनांक 05मार्च, 2009 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या : 375 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।